भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1137
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 20 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

एफएएमई इंडिया स्कीम के तहत दिए गए प्रोत्साहन को वापस लेना

1137. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डी:
श्री परिमल नथवानी:

क्या भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें किः

(क) क्या सरकार ने फास्टर अडोप्शन एंड मेन्युफेक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एफएएमई) इंडिया स्कीम के तहत हल्के हाइब्रिड वाहनों के खरीददारों को दिए गए प्रोत्साहन को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या उक्त स्कीम देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ष 2015 में आरंभ की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस स्कीम के आरंभ होने के बाद से कुल कितने इलेक्ट्रिक वाहनो के खरीददारों को राजसहायता नकद और गैर नकदी के रूप में प्रदान की गई?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): जी, हां। दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण और तीव्र अंगीकरण (फेम-इंडिया) योजना के तहत हल्के हाइब्रिड वाहनों के खरीददारों से प्रोत्साहनों के लाभ वापस ले लिए हैं। योजना की अधिसूचना में इस योजना के चरण-I में प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर उपयुक्त रूप से इसकी समीक्षा करने का प्रावधान है। तद्नुसार, फेम-इंडिया योजना के चरण-I का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन के आधार पर, हल्के हाइब्रिड प्रौद्योगिकी को उपलब्ध लाभों को वापस लिया गया।

(ग) और (घ): जी, हां। इस योजना के तहत मांग प्रोत्साहनों के माध्यम से लगभग 2,62,073 इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) की सहायता की गई है। उपर्युक्त के अलावा, इस योजना के तहत अनेक शहरों/राज्यों को 585 इलेक्ट्रिक बसें भी मंजूर की गई हैं।

*****